बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–2/अ०प्र०–1–01/24   20   /पटना, दिनांक :– 9.1.25

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत कार्य प्रमंडल जमुई के अधीन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन पथ "अमीन खैरा पथ से ढ़ाब" की अधीक्षण अभियंता, शोध एवं विकास की अध्यक्षता में गठित जॉच दल द्वारा दिनांक–31.12.2023 को की गई निरीक्षण में पथ का कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने तथा पथ के अलग–अलग चैनेजों पर SDBC कार्य का एकत्र Sample की क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग, पटना के जॉचफल में पथ के तीन पथांश यथा Ch-0.000km, 0.210km एवं Ch-2.450km पर बिटुमेन की मात्रा प्रावधानित मात्रा से कम पाये जाने संबंधी आरोपों पर श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई से विभागीय पत्रांक–31 दिनांक–04.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

श्री बादल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक–05.01.2024 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकारयोग्य पाये जाने के फलस्वरूप श्री बादल के विरूद्ध इस मामले में अग्रतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में श्री बादल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत विभागीय आदेश सं0 918 दिनांक 03.04.2024 द्वारा निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय निर्धारित किया गया।

श्री बादल के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत कार्यालय आदेश सं0 32 दिनांक 27.06. 2024 द्वारा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है।

श्री बादल द्वारा निलंबन से मुक्ति हेतु पत्रांक शून्य दिनांक 19.12.2024 के माध्यम से विभाग को अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उक्त पथ में एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 18.09.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 17.08.2024 निर्धारित थी। उनके द्वारा सतत पर्यवेक्षण करते हुए कार्यो का एकरारनामा के अनुसार संवेदक के माध्यम से करवाया जा रहा था! आलोच्य पथ में कराये गये कार्यों यथा GSB Gr-II, WBM Gr-III, MSS, SDBC (Binder Content), Cube Test का सैम्पल दिनांक 18.12.2023 को एकत्रित किया गया था। क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अनुसार पथ में कराये गये उक्त सभी कार्यों का जॉच संतोषप्रद प्रतिवेदित है। अधीक्षण अभियंता, शोध एवं विकास द्वारा दिनांक 31.12.2023 को निरीक्षण किया गया। इसप्रकार पथ का कार्य अभी चालू अवस्था में ही था तथा संवेदक को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया था। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जमुई द्वारा संवेदक को पथ के चैनेज 0.00 कि0मी0 से 0.250 कि0मी0 एवं चैनेज 2.400 कि0मी0 से 2.450 कि0मी0 में पुनः SDBC कार्य को सुधार हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में संवेदक द्वारा पुनः सुधारात्मक कार्य किया गया।

अभ्यावेदन के साथ संलग्न कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 34 अनु0 दिनांक 30.11.2024 द्वारा समर्पित गुण्वत्ता जॉचफल प्रतिवेदन के अनुसार पथ में SDBC कार्य की जॉच की गयी, जिसमें पथ के चैनेज 0.012 कि0मी0,

0.246 कि0मी0 एवं 2.438 कि0मी0 पर बिटुमेन 4.85%, 5.40% एवं 5.20% पायी गयी है, जो विशिष्टियों के अनुरूप है।

श्री बादल द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में वे निर्धारित सभी तिथियों को उपस्थित रहे है। निलंबित रहने के कारण उन्हें मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गयी है।

श्री बादल से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त उनके विरूद्ध प्रस्तुत मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध मुख्य अभियंता–1 के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री बादल अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय में योगदान समर्पित करेंगे।

श्री बादल के निलंबन अवधि के विनियमन पर निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

9/1/25

(डॉ0 फतिह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–01/24 287 /पटना, दिनांकः– 9.1.25

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई/बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–01/24 287 /पटना/दिनांकः– 9.1.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/पश्चिमी चम्पारण/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी–4/श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति मुख्यालय– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/25
संयुक्त सचिव

25